



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241299
CG-DL-E-22122022-241299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5733]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5733]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5971(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अभी निर्दिष्ट किया जाना है के निर्माण (6/8 लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमः स्तंभ (4), स्तंभ (5), स्तंभ (6) और स्तंभ (7), में उल्लिखित राज्य, जिलो, तालुकों और गावों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तथस्थानी प्रवृष्टी विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अभी निर्दिष्ट किया जाना है पर भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प क्र.2	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	तुळजापूर	1 दहीवडी

	उस्मानाबाद ()	Greenfield Highway के कि.मी. 370 से 488 तक			
--	-------------------	---	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2022

S.O. 5971(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in Column (2) of the scheduled annexed hereto as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to Districts, Taluka / Tahasil, Police station and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the stretch of land from Km. 370.00 to Km. 488.00 of the No. Yet to be Assigned for building (6/8 laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. No Yet to be Assigned in the State of MAHARASHTRA**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Collector Land Acquisition, Medium Project No.2 Osmanabad ()	370KM To 488KM	MAHARASHTRA	OSMANABAD	Tuljapur	1 Dahiwadi

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2022-23]

RAJESH GUPTA, Director